International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(III), January - March, 2023, pp. 379-382

पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित यवुाओं की भागीदारी

किरण मीणा*
प्रो. सोहन लाल मीणा**

सार

पंचायती राज संस्थाएँ लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया का आधार है इन स्थानीय स्वशासन संस्थाओ को 73वें संविधान संशाधेन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान कर, इनमें प्रत्यके वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित की गई है अनुसूचित जनजाति वर्ग की सहभागिता में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें शिक्षित युवा वर्ग की भागीदारी इन संस्थाओं में अभी भी कम आँकि गई है, जिसका प्रमुख कारण अ0 ज0 वर्ग मे युवा वर्ग का रूझान सरकारी सेवाओं व अन्य व्यवसायों की आरे होना है। साथ ही जनसामान्य द्वारा आज भी युवाओं की तुलना मे बुजुर्गो को राजनीतिक क्षेत्र हतुे अधिक याग्ेय माना जाता है। आवश्यकता इस युवा शक्ति को इन ग्रासरूट संस्थाओं आरे उन्मुख करने की है, ताकि सुशासन व ग्रामीण विकास की संकल्पना को वास्तविक रूप दिया जी सके।

शब्दकोशः *लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण, सुशासन, राजनीतिक भागीदारी, सशक्तिकरण।*

प्रस्तावना

पंडित जवहार लाल नेहरू ने पंचायती राज को प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला बताया इसी तरह महात्मा गाँधी ने भी कहा था कि जब तक गाँवो का विकास नहीं होगा हमारे देश का विकास सम्भव नहीं है, गाँवो में राम राज आए इसके लिए सता का विकेन्द्रीकरण होना जरूरी हंै। गाँवो मे ं पंचायती राज इसी दिशा में उठाया गया कदम है लोकतंत्र का आधार शासन जन सहभागिता के साथ ही शासन का निम्नतम् स्तर तक विकेन्द्रीकरण है। विश्व के सबसे बड़ े लाकेतांत्रिक देश भारत के धरातल पर लाकेतंत्र ऐसी राजनीतिक संरचना है, जो केवल राष्ट्रीय व राज्य स्तरो तब ही सीमित नहीं है अपितु उसका विस्तार स्थानीय स्तरों तक है। लाकेतंत्र मलूतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है? जिसमें स्थानीय संस्थाओं को सत्ता का हस्तान्तरण कर जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, समस्याओं का समाधान, राजनीतिक जागकरता आरै ग्रामीण विकास पर बल दिया जाता है।

ऐतिहासिक विकास क्रम मे ंस्थानीय स्वशासन एक दीघर्कालीन यात्रा का परिणाम है, नेहरू ने स्वाधीनता के पश्चात् इस दिशा में महत्वपर्ण प्रयास किए, 73वे ंसंविधान संशाधेन, 1992 के द्वारा ग्रामीण लाकेतंत्र को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जिसने इसके विकास में क्रान्तिकारी योगदान दिया। निसंदेह रूप से इस संशाधेन के बाद पंचायती राज संस्थाएँ काफी सशक्त हुई है। इसके तहत समाज के पिछड़े वर्गों के लिए

---

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर, राजस्थान।
** शोध निर्देशक, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे इस वर्गों को बड़े पैमाने पर नेतृत्व का अवसर प्राप्त हुआ। पंचायती राज संस्थाओं का नवीन संस्थागत स्वरूप अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निश्चय ही लाभदायक स्थिति का प्रतीक है, धरातलीय स्तर पर इस वर्ग मे लागेा को आरक्षण के माध्यम से भागीदार बनाया गया लेकिन मात्र प्रतिनिधित्व के रूप मे भागीदारी इस व्यवस्था को सफल बनाने और इस वर्ग के लिए लाभदायक बनने की गारण्टी नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित युवाओ की भागीदारी इन संस्थाओं मे अत्यन्त कम है। इनकी सक्रिय भागीदारी ग्रामीण विकास व आत्मनिर्भर गाँवा की संकल्पना को साकार करने हतु अत्यावश्यक है। किसी देश की मौलिक प्रगति का निर्धारिण शिक्षित युवा वर्ग ही करता है। भारत युवाओं का देश है लगभग 21 प्रतिशत जनसंख्या 15–25 वर्ष के आयु वर्ग के है, कुल ग्रामीण आबादी में 51–73 प्रतिशत आबादी 24 वर्ष से कम ही है।[2] यदि गाँवो में उचित उद्यमीय शिक्षण–प्रशिक्षण एवं राजेगार की व्यवस्था करके कार्यशील आबादी के पलायन को राको जाए तो आने वाले समय में ग्रामीण भारत ही सर्वाधिक जनाकिकीय लाभाशं की स्थिति में होगा लेकिन इस हेतु ग्रामीण युवाआ के सशक्तिकरण हतु जो सर्वाधिक पहली शर्त है वो ये कि उनमे देश व समाज के प्रति जागरुकता का विकास किया जाए, उन्हें ग्रामीण स्थानीय दशाओ व संस्थाओ की वास्तविकता से अवगत कराया जाए।

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में युवा वर्ग की विशेष उपादेयता है, युवा उत्साह और ऊर्जा को लवरेज होता है, आरै अपने इन्हीं गुणो से वह स्थानीय ग्रामीण राजनीति मे भी गति और गरिमा लाता है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग की गतिशीलता बढाने के लिए यह जरूरी है कि उसमे युवा वर्ग की भागीदारी बढ़े, शिक्षित युवाओं की भागीदारी इस क्षत्रे में गुणात्मक बदलाव ला सकती है। पंचायती राज संस्थाओ का सशक्तिकरण करने और युवा शक्ति को नई दिशा देने में राजीव गाँधी की महान भूमिका रही थी, उनका मानना था कि लाकेतंत्र की मजबूती के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण जरूरी है और लाकेतंत्र की सफलता के लिए युवा शक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी की जरूरत है। युवाओं का दायित्व है कि समाज की बुराईयों के विरूद्ध आन्दोलन के ध्वजवाहक बने तथा सामाजिक प्रगति को गति दे, राष्ट्र निर्माण में बुजुर्गो के अनुभवों व युवाओं की ऊर्जा के समन्वय की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतो में ग्रामीण शिक्षित युवाओं के सहयागे से ग्रामीण विकास को एक नयी दिशा मिलेगी, जमीनी स्तर पर विकास होगा और विकास में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हागेी।

अध्ययन का उददेश्य

- पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के शिक्षित युवाओं की सहभागिता का पता लगाना।
- शिक्षित युवाओं की कम भागीदारी के कारण जानना।
- अनुसूचित जनजाति के शिक्षित युवाओं की राजनीतिक सजगता व अभिरूचि का मल्यांकन करना।
- पंचायती राज व्यवस्था में अ.ज. के शिक्षित युवाओं के राजनैतिक विकास को प्रभावित करने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक कारको का अध्ययन करना।
- युवाओं की कम भागीदारी के कारण जानकर इनकी जन सहभागिता बढ़ाने का प्रयास करना।
- अनुसूचित जनजाति के शिक्षित युवाओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझकर समाधान हतु सझुाव प्रदान करना।

राजस्थान में स्थानीय स्वशासन संस्थाओ में निर्वाचित युवाओं की संख्याः ग्राम पंचायत स्तरः ग्राम पंचायत स्तर पर कुल सीटे–11,311

तालिका 1: शैक्षणिक याग्यता के आधार पर वर्गीकरण

Up to 25 age	
Male	Female
515	928
12.75%	

तालिका 2

सैकण्डरी		सीनीयर सै.		स्नातक		स्नात्तकोतर		व्यवसाय	
पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
993	523	736	422	872	491	259	208	176	73
13.40%		10.23%		12.05%		4.12%		2.20%	

ग्राम पंचायत स्तर पर 25 वर्ष तक के युवाओं का प्रतिशत 12.75 है, इसमें से 515 पुरूष तथा 928 महिलाएँ है केवल महिलाओं का अनुपात 8.20 प्रतिशत है, यहाँ यह तथ्य महत्वपर्ण है कि 25 वर्ष तक की आयु के निर्वाचित सदस्यो ंमें महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में अधिक है, जिसका कारण अधिकांश महिलाओं द्वारा उच्च शिक्षा न लेना, सरकारी सेवाओं में न जाना एवं विवाह रहा है। तथा दूसरा कारण 50 प्रतिशत सीटे महिलाओं हेतु शैक्षणिक याग्यता के आधार पर देखा जाए, तो कुल 42 प्रतिशत सैकण्डरी से ऊपर की शिक्षा प्राप्त है, व्यवसायिक क्षेत्र से 2.20 प्रतिशत जनप्रतिनिधि आते है, स्नात्तकोत्तर 4.12 प्रतिशत है, अर्थात् उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति स्थानीय राजनीति के क्षत्रे में कम आते है। ग्राम पंचायत स्तरः ग्राम पंचायत स्तर पर कुल सीटे–6,992

तालिका 3

Up to 25 age	
Male	Female
303	682
14.08%	

पंचायत समिति स्तर पर भी युवा महिलाओं की संख्या पुरूषों से अधिक है यहाँ महिलाओं की संख्या पुरूषों से 50 प्रतिशत अधिक है। जिला परिषद् : जिला परिषद् स्तर पर कुल सीटे ं–1014

तालिका 4

Up to 25 age	
Male	Female
31	68
9.76%	

पंचायती राज के समस्त स्तरो ंपर युवाओं का अनुपात अत्यन्त कम है, ग्राम पंचायत स्तर पर 12.75, पंचायत समिति स्तर पर 14.08 प्रतिशत तथा जिला परिषद् स्तर पर केवल 9.76 प्रतिशत जनप्रतिनिधि युवा है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओ ंमे ंयुवाओं की कम भागीदारी के अनेक कारण देखे जा सकते है।

अनुसूचित जनजाति शिक्षित युवाओं की पंचायती राज संस्थाओं मे ंकम भागीदारी के कारणः

- ग्रामीण राजनीति के प्रति कम रूचि।
- राजनीति के बजाय सरकारी सवेाओं को युवाओं द्वारा अधिक वर्यता प्रदान करना।
- स्थानीय राजनीति को व्यवसाय के रूप में चुनने को चुनौतिपूर्ण मनाना।
- पंचायती राज संस्थाओं में आर्थिक पैकजे आकर्षक नही।
- ग्रामीण क्षेत्र में जनसामान्य का विश्वास युवाओं की तुलना में अनुभवी बुजुर्गों पर अधिक है।
- ग्रामीण मानसिकता को देखते हुए अधिकाशं युवा चुनावों में प्रत्याशी के रूप में भाग ही नहीं लेते। क्योंकि राजनीति को अनुभवी लोगों का क्षेत्र माना जाता है।

अनुसूचित जनजाति के शिक्षित युवाओं की भागीदारी बढाने हेतु सुझाव

- विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को ग्रामीण विकास व ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से व्यवहारिक रूप में अवगत कराए।

- ग्राम सभा में अनुसूचित जनजाति युवाओ ंकी भागीदारी बढ़ाई जाए।
- पंचायतों में सफल युवाओं व ग्रामीण विकास के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया जाए, ताकि ग्रामीणों का विश्वास शिक्षित युवाओं पर बढे।
- स्थानीय जन प्रतिनिधियों की वेतन वृद्धि की जाए तथा शिक्षित युवाओं को पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र से अवगत कराया जाए, ताकि वे जान सक ेकि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से व गावों को आत्मनिर्भर बना सकते है। आवश्यकता केवल दृढ़ इच्छा शक्ति व जनभागीदारी की है।
- पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाए।
- सरकारी सेवाओं में कार्यरत युवाओं को पंचायत कायर्काल के दारैान अवकाश पद्रान किया जाए, जिस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षको ंको अवसर प्रदान किया जाता है।
- व्यवसायिक डिग्री धारक युवाओं को इस क्षत्रे में आने हतु प्रेरित किया जाए, ताकि ग्रामीण

विकास को एक नयी दिशा प्रदान की जा सके एव ंयुवा उद्यमिता के नवीन अवसर सृजित किए जा सके।

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग की भागीदारी लगातार बढी है। लेकिन शिक्षित युवाओं को स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं की आरे अग्रसर करने हतु आरै अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है, ग्रामीण विकास व सफल स्वशासन की संकल्पना का सपना साकार करने हतु इस आरे प्रयास करना अवश्यभांवी है।

सन्दर्भ ग्रथं सूची

1. सम्पादकीय लेख, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, मई 2013
2. कुरूक्षेत्र, हिन्दी मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, अगस्त, 2016
3. रविन्द्र शर्मा, "ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, पिंट्रवैल पब्लिशर्स, 1985
4. आर.पी. जाशेी, पंचायतो ंका संवैधानिकरण", 1997
5. मुकशे शर्मा, "पंचायती राज सिस्टम एण्ड एम्पावरमेटं, 2002
6. एम.लक्ष्मी नरसिंहा एवं राजू एस. "फाइनेसं ऑफ लाकेल गवर्नेन्स", 2009
7. याजेना हिन्दी मासिक, 2011, "ग्राम सभा जन–जन तक जनतंत्र"
8. डॉ. हनिफ खान, "पंचायती राज में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति की सहभागिता, 2016
9. कुरूक्षेत्र, हिन्दी मासिक पत्रिका, अगस्त, 2016 "सशक्त हो रह ेग्रामीण युवा"।
10. ग्राम पंचायत सामान्य चुनाव, 2020–21, वॉल्यूम–2, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
11. पंचायत समिति सामान्य चनुाव, 2020–21, वॉल्यूम–2, राज्य निर्वाचन आयागे, राजस्थान।
12. जिला परिषद् सामान्य चनुाव, 2020–21, वॉल्यूम–1, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
13. कुरूक्षेत्र, "महिला सशक्तिकरण" मई, 2020
14. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कायर्क्रम, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास।
15. पी.पी. गौर "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास
16. कुरूक्षेत्र "पचांयती राज, अप्रैल, 2023

❖◆❖